कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—2840 /FP/UK/ROAD/151058/2022 देहरादून:दिनांक: 27 मई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद—अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम—तुलौड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) को किलागांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षण करने पर प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगत हो रही हैं :—

1. प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।
4. प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्रत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।
5. प्रस्तावित मोटर में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में सम्बन्धित वन पंचायत अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा—A(x) में वन भूमि 1000 वर्षो हेतु व्यवर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।
7. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
8. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
10. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग—अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
11. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
12. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

पत्रांक 1634/ [illegible] दि० 9/6/2022
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. अल्मोड़ा [illegible] बिन्दुओं का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पाँच-पाँच प्रतियों में [illegible] ऑनलाईन / ऑफलाईन [illegible]

Scanned with CamScanner